



2026:AHC:129125

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना पत्र 9212 वर्ष 2026

दिलनवाज़ उर्फ़ कल्लू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: रविन्द्र कुमार यादव, संदीप कुमार यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय,

1. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में दायर अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान एजीए की बातें सुनीं और अभिलेख देखा।
3. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आरोपी-आवेदक दिलनवाज़ उर्फ़ कल्लू की ओर से आपराधिक वाद संख्या 172/2025 (धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना गंभीरपुर, ज़िला आजमगढ़) में ज़मानत पर रिहाई के लिए दायर की गई है।
4. संक्षेप में, प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, पुलिस ने आवेदक समेत दो आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया और उनके पास से एक पिस्तौल बरामद होने की बात कही गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आरोपी-आवेदक ने प्राथमिकी में बताए अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक 12.6.2025 से जेल में बंद है। यह भी कहा गया है कि हालाँकि प्राथमिकी में आवेदक और एक सह-आरोपी का नाम है, लेकिन बरामदगी पंचनामा तैयार करने और आवेदक की गिरफ्तारी के समय कोई विश्वसनीय और स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। आगे यह भी कहा गया है कि पुलिसकर्मियों ने झूठी बरामदगी दिखाई है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें नौ मामले शामिल हैं; इन मामलों के बारे में ज़मानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के प्रस्तर 9 और अनुपूरक शपथपत्र में जानकारी दी गई है। तर्क यह है कि वाद के निर्णय में काफी समय लगेगा और ज़मानत पर रिहा होने पर उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, ज़मानत की मांग की गई है।

6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विचारण से पहले के चरण में आवेदक के निर्दोष होने का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी रियायत का हकदार नहीं है। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से वैसी ही गतिविधियों में शामिल हो सकता है और ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर सकता है।

7. ऊपर बताए गए पक्षों के तर्कों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्राथमिकी में आवेदक और एक सह-आरोपी का नाम तो है, लेकिन बरामदगी पंचनामा बनाने और आवेदक की गिरफ्तारी के समय कोई विश्वसनीय और स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था; साथ ही विचारण पूरा होने में लगने वाले समय की अनिश्चितता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य, **मनीष सिसोदिया बनाम डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट 2024 (एससी) लॉसूट 677** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तर संख्या 53, और **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021)**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3 एससीसी 713 व सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य (2022) 10

एससीसी 51 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उक्त अपराध में शामिल आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार स्वीय बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करने होंगे, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक को यह वचन-पत्र देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर सुनवाई स्थगित करने की मांग नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने तय की गई हर तारीख पर, या तो खुद या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार, मौजूद रहना होगा।
- (iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने उन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा जो (i) वाद शुरू करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) आरोपी का बयान दर्ज करने (जिसमें उसे अपने खिलाफ साक्ष्यों में सामने आई परिस्थितियों के बारे में खुद बताना होगा) के लिए तय की गई हैं।
- (v) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय विधि के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करेगा।

8. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत निरस्त करने का आधार बन सकता है।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों की पहचान और निवास के प्रमाण की पुष्टि करनी चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति संतोष राय)

जून 25, 2026

आरण

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।